



**पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,
पिंपरी ४११ ०१८**

‘क’ क्षेत्रीय कार्यालय, स्थापत्य विभाग

केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
मधील कलम ४(१)(ब) अन्वये प्रसिद्ध करावयाची माहिती

कलम ४(१)(ब) नुसार बाब क्र.०१

**कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशिल
कामाचा आणि कर्तव्याचा तपशिल**

| | | |
|----|---|---|
| १ | सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, 'क' क्षेत्रीय कार्यालय, स्थापत्य विभाग |
| २ | संपुर्ण पत्ता | 'क' क्षेत्रीय कार्यालय, हॉकी स्टेडीयम शेजारी, नेहरूनगर, भोसरी ४११०२६ |
| ३ | कार्यक्षेत्र | प्रभाग क्र.२, ६, ८ व ९ (एकूण ४ प्रभाग) |
| ४ | कार्यालय प्रमुख | उप आयुक्त |
| ५ | कोणत्या खात्याच्या अधिनिस्त हे कार्यालय आहे. | आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका |
| ६ | कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो. | आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका |
| ७ | अंगीकृत ब्रत | कटिबद्धा जनहिताय |
| ८ | ध्येय / धोरण | नागरीकांचे हित जोपासणे, समस्या निवारण करणे, माहिती अधिकारांतर्गत देय माहिती देणे. |
| ९ | साध्य | आय.एस.ओ.9001 : 2008 मानांकन प्राप्त |
| १० | दुर्ध्वनी क्रमांक | +९१ ०२० २७१२१२८८ |
| ११ | कार्यालयाची वेळ | सकाळी ०९:४५ ते सायंकाळी ०६:१५ |
| १२ | सामाहिक सुट्टी | सर्व शनिवार व रविवार, महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या व मा. जिल्हाधिकारी यांनी जाहिर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या |

**क क्षेत्रीय कार्यालय, स्थापत्य विभागातील
अधिकारी / कर्मचारी माहिती**

| अ.क्र. | पदनाम | एकूण |
|--------|-------------------------------|------|
| १ | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) | १ |
| २ | उप अभियंता (स्थापत्य) | ४ |
| ३ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | ७ |
| ४ | मुख्य लिपिक | १ |
| ५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | २ |
| ६ | मजूर | ३ |
| ७ | शिपाई | १ |
| ८ | अटेंडंट / मदतनिस | १ |
| एकूण | | २० |

कार्य व कर्तव्य

| अ.क्र. | कार्य व कर्तव्य |
|--------|---|
| १ | महानगरपालिकेचे सार्वजनिक वापरासाठी इमारती बांधणे व दुरुस्ती देखभाल करणे. |
| २ | सार्वजनिक रस्ते बांधणे (उड्हाण पुल, समतल वितलग सह) व दुरुस्ती देखभाल करणे. |
| ३ | सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधणे व दुरुस्ती देखभाल करणे. |
| ४ | फटाका स्टॉल, मंडप परवाने, रसवंती गृह इत्यादीसाठी प्राप्त अर्जावर योग्य ती कार्यवाही करून तसा अहवाल सादर करणे. |
| ५ | नागरिकांच्या येणा-या तक्रारीवर पाठपुरावा करून तक्रारीचे निवारण करून तसा अहवाल सादर करणे. |
| ६ | माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देणे. |